

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-३, उन्नाव।

मुकदमा नं०-2531 / 2019

शिव कुमार सिंह बनाम अश्वनी तिवारी आदि।

30-11-2019

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार कराये जाने के बावजूद भी परिवादी उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विगत कई तिथियों से परिवादी पत्रावली पर उपस्थित नहीं आया है। ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं० प्र० सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं० प्र० सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-३, उन्नाव।